न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 102/2018

उनवान

1. सुगनी पत्नी हरलाल,
2. सीता,
3. कालू,
4. शंकर पि0 हरलाल,
5. हरचन्द पुत्र श्रवण,
6. श्रवणी पत्नी रामदेव,
7. लाली,
8. माया,
9. गोपाल,
10. छोटू पि0 रामदेव
11. कमला पत्नी दयाल,
12. रामलाल पुत्र दयाल जाति गुर्जर नि0 बैवंजा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 29/5/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बैवंजा में वादीगण की पुश्तेनी/कब्जेशुदा काश्तकारी की भूमि स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला खसरा नम्बर	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
775	230	29–12–0	440	0.60
			427	0.30
			443	0.30
			444	0.12
			358/1909	0.10
796	275	16–5–0	526	5.81
	278	16–15–0	532	0.03
			531	1.64
			539	0.13
			540	0.23

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

	277		543	0.07
			544	0.31
		1—14—0	536	0.11

उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 775 रकबा 69—15—0 व 796 रकबा 193—10—0 खतौनी जमाबंदी फसली सवंत 1359 व चौसाला जमाबंदी में श्रवण पुत्र सालू के नाम खातेदारी दर्ज है। श्रवण की मृत्यु हो गयी है जिसके वारि वादीगण ही है। उक्त आराजी वंर्किंग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करने के बजाय गैर कानूनी तरी से सिवायचक दर्ज कर दी। उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक होने के कारण प्रतिवादी उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबी में वादीगण के पूर्वज के नाम नही होने से वंर्किंग व हाल जमाबंदी में सिवायचक दर्ज की गयी। वर्तमान राजस्व अभिलेख बंदोबस्त विभाग द्वारा विधिवत बनाया गया है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है ?

—— वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये। व कालूराम पुत्र हरलाल, कालू पुत्र भंवरलाल व बलदेव पुत्र दयाल का शपथ पत्र पेश किया। राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 :—

वादीगण का कथन है कि उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 775 रकबा 69—15—0 व 796 रकबा 193—10—0 खतौनी जमाबंदी फसली सवंत 1359 व चौसाला जमाबंदी में श्रवण पुत्र सालू के नाम खातेदारी दर्ज है। किन्तु सन फसली संवत 1359 काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक से पूर्व का है। उक्त दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025—28 में चौसाला खसरा नम्बर 775 रकबा 69—15—0 सिवायचक दर्ज है। उक्त जमाबंदी अंतिम चौसाला है। साथ ही वादीगण ने काश्तकारी अधिनियम लागू दिनांक की कोई चौसाला जमाबंदी प्रस्तुत नही की है। वंर्किंग जमाबंदी भी वादीगण द्वारा पेश नही की है। वादी द्वारा जिस फसली दस्तावेज के आधार पर वाद पेश किया है। उक्त दस्तावेज काश्तकारी अधिनियम लागू दिनांक से पूर्व का है। अतः आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी खातेदारी की सिद्व नही होती है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी सिद्व नही होती हैं। आराजी मुतनाजा पूर्व व हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से उनका कब्जा यदा–कदा अतिकमी की हैसियत से ही है। खण्डित कब्जे काश्त के आधार पर सिवायचक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी नही है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 440, 427, 443, 444, 358/2909, 526, 532, 531, 539, 540, 543, 544, 536 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इबताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

अनवान

सुगनी बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 102 / 2019
पेश करने की दिनांक — 27.8.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

उक्तानुसार ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 440, 427, 443, 444, 358 / 2909, 526, 532, 531, 539, 540, 543, 544, 536 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद